



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2009/पौष 23, 1930

No. 17]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2009/PAUSA 23, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 22(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दर्शाई जा रही तालिका के कॉलम सं. (3) में क्रम सं. 9 और 10 को आशोधित करके काँडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग के पत्तन स्कंध की दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

तालिका

क्रम सं.	प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें नियुक्त किया जाना है
(1)	(2)	(3)
9.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।	5
10.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii)(4) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।	3

[फा. सं. पी टी-18011/12/2007-पी टी]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2009

G.S.R. 22(E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby modifies the interests mentioned in column (3) of the Table against serial numbers 9 and 10 and make the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, (Ports Wing), No. G.S.R. 194(E) dated 19th March, 2008 on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

TABLE

Sl. No.	Interests to be represented	Number of persons to be appointed.
(1)	(2)	(3)
9.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of Major Port Trusts Act, 1963.	5
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of Major Port Trusts Act, 1963.	3

[F.No.PT-18011/12/2007-PT]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 23(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग (पत्तन स्कंध) की दिनांक 28 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 618(अ) के साथ पठित दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 1 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 9 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 353(अ), दिनांक 2 जून, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424(अ), दिनांक 12 जून, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 539(अ), और दिनांक 8 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 585(अ) के क्रम में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 15 के बाद निम्नलिखित को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :—

तालिका

16. श्री मुरारी रामदयाल शर्मा, अधिवक्ता और लेख्य प्रमाणक (नोटरी), चैम्बर्स : बी. बी. जेड. दक्षिण-35, गाँधीधाम (कच्छ)-370201	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।
17. श्री सेवन्तीलाल कालाभाई सोलंकी, जल चौक दुखवाड़ा, वंकरवास, गाँव और डाकखाना : पाटन, तहसील और जिला : पाटन, उत्तर गुजरात	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।

[फा. सं. पीटी-18011/12/2007-पी टी]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2009

G.S.R. 23(E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, Ports Wing, No. G.S.R. 194(E) dated 19th March, 2008, No. G.S.R. 298(E) dated 22nd April, 2008, No. G.S.R. 326(E) dated 1st May, 2008, No. G.S.R. 353(E), dated 9th May, 2008, No. G.S.R. 424(E) dated 2nd June, 2008, No. G.S.R. 453(E) dated 12th June, 2008, No. G.S.R. 539(E) dated 17th July, 2008, No. G.S.R. 585(E) dated 8th August, 2008 read with No. G.S.R. 618(E) dated 28th August, 2008, the Central Government hereby appoints the following as trustees after serial number 15 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

TABLE

16. Shri Murari Ramdayal Sharma, Advocate & Notary, Chambers : B.B.Z. South-35, Gandhidham (Kutch)-370201.	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
17. Shri Sevantilal Kalabhai Solanki, Jal Chwk Dukhwada, Vankarvas, At. & P.O. Patan, Ta. & Dist. Patan, North Gujarat.	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.

[F.No.PT-18011/12/2007-PT]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.